दिनांकः-06-11-2025

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गौकशी का प्रयास कर रहे 01 गौकश/अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर , 02 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, गौकशी करने के उपकरण व 01 जिंदा गौवंश बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 06.11.2025 को थानाध्यक्ष चिलकाना मय फोर्स चिलकाना से कच्चा पक्का दुमझेडा रास्ते पर गस्त कर रहे थे। तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दुमझेडा वाली सडक से जंगल की तरफ जान वाली चकरोड के पास गन्ने के खेत में कुछ लडके गौकशी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो देखा की दो व्यक्ति एक गौवंश को पेड़ से बाँधकर गौकशी करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख गौकशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर खेतों की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक गौकश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। 01 अन्य गौकश गन्ने के खेत का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **भूरा पुत्र कालू निवासी मौहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। जिसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, गौकशी करने के उपकरण व 01 जिंदा गौवंश बरामद हुआ। **घायल अभियुक्त भूरा उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर गौकशी, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत है।** घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0-306/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया जा रहा हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवशयक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं अपने अन्य साथी के साथ मिलकर जगलों में घुम रहे आवारा पशुओ को पकडकर जंगल में ले जाकर किसी सुनसान जगह पर गौकशी करता हूँ। आज भी हम ग्राम दुमझेडा के जंगल में गन्ने के खेत में गाय को काटने का प्रयास कर रहे थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आ गयी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख हम लोगो ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

भूरा पुत्र कालू निवासी मौहल्ला मजहर हसन चिलकाना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त भूरा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-252/2020 धारा-380,411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
2. मु0अ0स0-80/2020 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0स0-81/2020 धारा-420,465 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0स0-175/2020 धारा-307 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
5. मु0अ0स0-176/2020 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
6. मु0अ0स0-181/2020 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
7. मु0अ0स0-311/2020 धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
8. मु0अ0स0-172/2014 धारा-5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रुरता एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
9. मु0अ0स0-278/2014 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट व 147,148,149,307,504,506,323,34 भादवि व 07 सीएलए एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
10. मु0अ0स0-285/2014 धारा -110 जी सीआरपीसी थाना चिलकाना सहारनपुर
11. मु0अ0स0-012/2007 धारा -3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
12. मु0अ0स0-177/2010 धारा-5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
13. मु0अ0सं0-306/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 01 तमंचा व 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस .315 बोर
- गौकशी के उपकरण (एक कुल्हाड़ी, तीन छुरे, एक अदद लकड़ी का गुटका, एक इलेक्ट्रिक कांटा ,एक वजन रखने का झाबा,20 प्लास्टिक पिन्नी)
- 01 जिन्दा गौवंश गाय

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 1551 अमित तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 150 सौरव पंवार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. का0 2331 लवलेश राठी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही

- **थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन करने वाले 02 वाहन डम्फर सीज**
- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन सामग्री के परिवहन की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

*दिनांक **06.11.2025** को चेकिंग के दौरान बिना नम्बर प्लेट के 02 डम्पर वाहन पकड़े गए तथा चालकों के पास खनन सामग्री से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। दोनों वाहनों को **थाना परिसर में सीज कर खड़ा कराया गया।** इसी क्रम में उक्त ट्रकों के पकड़े जाने को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया।*

प्रथम पक्ष-

1. *मुक्मिल पुत्र गयूर निवासी भूरा कंडेला थाना करैना जनपद शामली*
2. *अनस पुत्र अब्बाश निवासी दूधगढ़ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

द्वितीय पक्ष-

3. *मुजकिर पुत्र तेज अली निवासी बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

*आपस में एक-दूसरे पर वाहन पकड़वाने के आरोप लगाते हुए आमादा-फसाद हो गए। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया गया तथा शांति व्यवस्था भंग करने पर उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को **धारा 170/126/135 बीएनएसएस** के अंतर्गत **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

अभियुक्तगण का नाम व पता —

1. *मुक्मिल पुत्र गयूर निवासी भूरा कंडेला थाना करैना जनपद शामली*
2. *अनस पुत्र अब्बाश निवासी दूधगढ़ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *मुजकिर पुत्र तेज अली निवासी बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. *थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 779 मोहित शर्मा, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर*
4. *का0 2401 दुर्गेश कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध कडी कार्यवाही □

□ मादक पदार्थ तस्करी पर जनकपुरी पुलिस का करारा प्रहार — 01 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 555 ग्राम अवैध गांजा व 01 मोटरसाइकिल बरामद □

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री परविन्द्र पाल सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ***01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त जब्बार पुत्र फैजान निवासी ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर*** *को ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे खण्डरनुमा गोदाम से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से* ***कुल 555 ग्राम अवैध गांजा व 01 मोटरसाइकिल*** *बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 288/25 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

अभियुक्त का नाम व पताः-

1. जब्बार पुत्र फैजान निवासी ग्राम सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 555 ग्राम अवैध गांजा
- 01 मोटरसाइकिल

अभियुक्त जब्बार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 539/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना, स0पुर
2. मु0अ0सं0 540/19 धारा 465 भादवि 41/102 सीआरपीसी थाना चिलकाना, स0पुर
3. मु0अ0सं0 541/19 धारा 10 यूपी गुण्डा अधि0 थाना चिलकाना, स0पुर

4. मु0अ0सं0 86/20 धारा 380/411 भादवि थाना चिलकाना, स0पुर
5. मु0अ0सं0 201/21 धारा 414 भादवि थाना चिलकाना, स0पुर
6. मु0अ0सं0 202/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना, स0पुर
7. मु0अ0सं0 235/24 धारा 303(2)/317(5) बीएनएस थाना चिलकाना, स0पुर
8. मु0अ0सं0 90/18 धारा 8 सीएस एक्ट व 11/3 पशु अत्याचार नि0अधि0 थाना जनकपुरी, स0पुर
9. मु0अ0सं0 310/18 धारा 174 ए भादवि थाना जनकपुरी, स0पुर
10. मु0अ0सं0 117/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जनकपुरी, स0पुर
11. मु0अ0सं0 125/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जनकपुरी, स0पुर
12. मु0अ0सं0 126/20 धारा 414/420 भादवि थाना जनकपुरी, स0पुर
13. मु0अ0सं0 171/20 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना को0देहात, स0पुर
14. मु0अ0सं0 138/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0देहात, स0पुर
15. मु0अ0सं0 223/21 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 379/506 भादवि थाना को0देहात, स0पुर
16. मु0अ0सं0 437/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0देहात, स0पुर
17. मु0अ0सं0 442/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0देहात, स0पुर
18. मु0अ0सं0 212/24 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी, स0पुर
19. मु0अ0सं0 421/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मण्डी, स0पुर
20. मु0अ0सं0 442/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0देहात, स0पुर
21. मु0अ0सं0 87/15 धारा 5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मिर्जापुर, स0पुर
22. मु0अ0सं0 442/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0देहात, स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिहं थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 218 अय्यूब अली थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0कां0 574 अश्वनी थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

मादक पदार्थ तस्करी पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम का करारा प्रहार — 01 तस्कर गिरफ्तार, कुल 237 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा कार्यवाहक थानाध्यक्ष विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा दिनांक 06.11.2025 कोचैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त सनव्वर उर्फ पप्पु पुत्र अनीस निवासी दौतली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को कलसिया रोड से बिजलीघर रोड आम का बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 237 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 317/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *सनव्वर उर्फ पप्पु पुत्र अनीस निवासी दौतली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*

बरामदगी का विवरण -

- *237 ग्राम अवैध चरस बरामद*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर*
3. *है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
4. *है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
5. *हे0का0 2321 बब्लू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

मादक पदार्थ तस्करी पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम का करारा प्रहार — 01 तस्कर गिरफ्तार, कुल 143.80 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा कार्यवाहक थानाध्यक्ष विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा दिनांक 06.11.2025 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त शौकीन पुत्र जरीफ निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को कस्बा छुटमलपुर से ग्राम अलीपुर सिम्भालकी को जाने वाली सडक के पास से गिरफ्तार किया गया** । अभियुक्त के कब्जे से 143.80 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 318/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शौकीन पुत्र जरीफ निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- *143.80 ग्राम अवैध चरस बरामद*

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 429/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

6. *थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर*
7. *उ0नि0 श्री मशकूर अली थाना फतेहपुर सहारनपुर*
8. *है0का0 1291 सोहन सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
9. *हो0गा1231 राहुल कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांक: 06.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक **श्री सतेन्द्र कुमार** के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।*

*दिनांक **06.11.2025** को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे में 02 **वांछित अभियुक्तगण 1. सुहैब कुरैशी पुत्र वासिब निवासी मोहल्ला पीपलतला, कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर** एवं **2. इन्तजार पुत्र शहीद निवासी गोकलपुर थाना नकुड़, सहारनपुर** को संबंधित **मु0अ0सं0 0448/2025 धारा 64/115(2)/126(2)/3(5) बीएनएस** में **उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया।***

*गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक **विधिक कार्यवाही** कर उन्हें **माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।***

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. सुहैब कुरैशी पुत्र वासिब निवासी मोहल्ला पीपलतला, कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
2. इन्तजार पुत्र शहीद निवासी गोकलपुर, थाना नकुड़, सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार, थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
2. है0का0 1228 सुधीर कुमार, थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
3. का0 1069 अंकित कुमार, थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर

दिनांक:06.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल की बरामद

घटना का विवरणः-

दिनाकं 06.11.2025 को मुकदमा वादी दिलशाद पुत्र वहीद निवासी ग्राम नंगला थाना चिलकाना जिला सहारनपुर द्वारा अपनी मोटर साइकिल स्पलैण्डर HR 02 AH 2118 किसी अज्ञात चोर द्वारा महमूदपुर से चोरी करने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया दाखिलाप्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 258/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मात्र 12 घण्टे में ***01 वाहन चोर अभियुक्त शाहजाद पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*** *को शेरपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल स्पलैण्डर रंग सिल्वर रजि0 न0 HR 02 AH 2118 बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

अभियुक्त का नाम व पता –

शहजाद पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल रंग सिल्वर HR 02 AH 2118

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 214/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 255/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 1185 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. हेका0 1318 दीपक थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांकः 06.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना नानौता पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद कर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

*दिनांक **22.09.2025** को वादिया की लिखित तहरीर बाबत वादिया की पुत्री का घर से बिना बताए कहीं चले जाने की सूचना के संबंध में थाना नानौता पर **मु0अ0सं0 232/25 धारा 137(2) बीएनएस** के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः-

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा नाबालिक अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए मुकदमा उपरोक्त में एक वांछित **अभियुक्त सागर पुलिस नरेश कुमार निवासी तुगलपुर खानपुर थाना खानपुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखंड)** को को **संजय चौक, कस्बा नानौता** से गिरफ्तार किया गया।*

*पीड़िता के बयानो के आधार पर अभियोग में **धारा 64(1) बी.एन.एस. व 3/4 पोक्सो अधिनियम** की वृद्धि करते हुए अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु **माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।***

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. सागर पुलिस नरेश कुमार निवासी तुगलपुर खानपुर थाना खानपुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखंड)

बरामदगी एवं गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 कृष्णवीर सिंह, थाना नानौता, जनपद सहारनपुर
2. है0का0 205 विपिन कुमार, थाना नानौता, जनपद सहारनपुर

दिनांक –06.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 2350/- रूपये नकद बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 10.10.2025 को वादी नसीम अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम बीदपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर से नकदी व कुछ सोने के जेवर चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 420/2025 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत कराया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के नेतृत्व मे आज दिनांक 06.11.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश मे आये 01 वांछित **अभियुक्त दिलशाद उर्फ काला डान पुत्र नसीरु निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को सत्संग भवन के पास बिडवी नहर रोड पटरी से गिरफ्तार किया गया । कब्जे से चोरी के सामान को बेचने के बाद प्राप्त धनराशि से शेष बचे 2350/- रूपये नकद बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त का नाम व पताः-

दिलशाद उर्फ काला डान पुत्र नसीरु निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 2350/- रूपये नकद (चोरी का माल बेचकर प्राप्त धनराशि से शेष बचे रूपये)

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 184/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एक्ट थाना सरसावा स0पुर
2. मु0अ0स0 420/2025 धारा 305(ए) /317(2) बीएनएस थाना सरसावा स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 बन्टी सिह थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 632 उत्तम राठी थाना सरसावा सहारनपुर
3. है0का0 361 मनोज कुमार थाना सरसावा सहारनपु

दिनांक: 06.11.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन क्लीन-2"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा आपरेशन क्लीन के तहत नीलाम शुदा वाहनों को नीलामी क्रेता के सुपुर्द किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे अभियान ***ऑपरेशन क्लीन-2*** *के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में माननीय न्यायालय एसीजेएम प्रथम महोदय के आदेश के अनुपालन एवं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त थाना हाजा पर नीलाम शुदा 47 लावारिश / लादावा तथा 20 मुकदमाती कुल 67 वाहनों को कुल धनराशि मय जीएसटी 3,65,800/- रूपये कोषागार में जमाकर कराकर नीलामी क्रेता नौशाद पुत्र कालू नि0 कस्बा व थाना ननौता जनपद सहारनपुर के सुपुर्द किया गया।*

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही

- **थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन करने वाले 02 वाहन डम्फर सीज**
- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन सामग्री के परिवहन की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

*दिनांक **06.11.2025** को चेकिंग के दौरान बिना नम्बर प्लेट के 02 डम्पर वाहन पकड़े गए तथा चालकों के पास खनन सामग्री से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। दोनों वाहनों को **थाना परिसर में सीज कर खड़ा कराया गया।** इसी क्रम में उक्त ट्रकों के पकड़े जाने को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया।*

प्रथम पक्ष-

4. *मुक्मिल पुत्र गयूर निवासी भूरा कंडेला थाना करैना जनपद शामली*
5. *अनस पुत्र अब्बाश निवासी दूधगढ़ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

द्वितीय पक्ष-

6. *मुजकिर पुत्र तेज अली निवासी बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

*आपस में एक-दूसरे पर वाहन पकड़वाने के आरोप लगाते हुए आमादा-फसाद हो गए। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया गया तथा शांति व्यवस्था भंग करने पर उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को **धारा 170/126/135 बीएनएसएस** के अंतर्गत **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

अभियुक्तगण का नाम व पता —

4. *मुक्मिल पुत्र गयूर निवासी भूरा कंडेला थाना करैना जनपद शामली*
5. *अनस पुत्र अब्बाश निवासी दूधगढ़ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
6. *मुजकिर पुत्र तेज अली निवासी बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

5. *थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर*
6. *उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर*
7. *है0का0 779 मोहित शर्मा, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर*
8. *का0 2401 दुर्गेश कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.11.2025

_*□यातायात माह के अन्तर्गत जागरूकता अभियान – "नो हेलमेट नो पेट्रोल"□*_

➡️□यातायात माह के अन्तर्गत आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को क्षेत्राधिकारी देवबन्द श्री अभितेष सिंह द्वारा थाना बड़गांव क्षेत्रान्तर्गत जय फिलिंग स्टेशन पर एक जागरूकता अभियान चलाया गया।

➡️□अभियान के दौरान उपस्थित वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित किया गया तथा "नो हेलमेट नो पेट्रोल" अभियान के अंतर्गत बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया।

➡️□उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा एवं अन्य यातायात नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.11.2025

*□ यातायात माह के अन्तर्गत "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित □*

➡□यातायात माह के अन्तर्गत आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को क्षेत्राधिकारी नकुड़ श्री अशोक सिसोदिया द्वारा थाना नकुड क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प पर "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया।

➡□अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय ने वाहन चालकों से अपील की कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

➡□इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों एवं पेट्रोल पम्प कर्मचारियों को "बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने" के संबंध में जागरूक किया गया तथा आमजन को सड़क सुरक्षा के महत्व के प्रति प्रेरित किया गया।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.11.2025

_ यातायात माह के अन्तर्गत “नो हेलमेट नो फ्यूल” अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। _

➡यातायात माह के अन्तर्गत आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री प्रिया यादव द्वारा थाना गागलहेड़ी क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प पर “नो हेलमेट नो फ्यूल” अभियान के तहत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।

➡अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदया द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई कि वे यातायात नियमों का पालन करें तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न केवल स्वयं की सुरक्षा के लिए, बल्कि दूसरों की सुरक्षा हेतु भी आवश्यक है।

➡इस अवसर पर पुलिस कर्मियों एवं पेट्रोल पम्प कर्मचारियों को “बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने” के संबंध में जागरूक किया गया और आमजन को सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत कराया गया।

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

□ यातायात माह के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री मुनीश चन्द्र द्वारा होटल एवं ढाबों की चेकिंग अभियान चलाया गया। □

➡□यातायात माह के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री मुनीश चन्द्र द्वारा थाना प्रभारी कुतुबशेर के साथ संयुक्त रूप से थाना कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न होटलों एवं ढाबों की चेकिंग की गई।

➡□चेकिंग के दौरान होटल एवं ढाबा संचालकों को सड़क सुरक्षा, अनुशासन एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि किसी भी होटल या ढाबे में मदिरा सेवन नहीं कराया जाएगा, तथा यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पाई जाती है तो तुरंत थाना पुलिस को सूचित किया जाए।

➡□अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा माह के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखना एवं असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.11.2025

*□ यातायात माह के अन्तर्गत "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। □*

➡□यातायात माह के अन्तर्गत आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय द्वारा थाना जनकपुरी क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प पर "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।

➡□अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय ने वाहन चालकों से अपील की कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन न केवल व्यक्ति की स्वयं की सुरक्षा बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

*➡□इस अवसर पर पुलिस कर्मियों एवं पेट्रोल पम्प कर्मचारियों को भी "बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने" के संबंध में जागरूक किया गया और सड़क सुरक्षा के महत्व पर बल दिया गया।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.11.2025

□ यातायात माह के अन्तर्गत "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित □

➡□यातायात माह के अन्तर्गत आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री मुनीश चन्द्र द्वारा थाना प्रभारी कुतुबशेर के साथ मिलकर थाना कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत एचपी पेट्रोल पम्प पर "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत आमजन को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया।

➡□अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय ने वाहन चालकों से अपील की कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सड़क पर यातायात अनुशासन का पालन करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन स्वयं की और दूसरों की जान की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

_*□ मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत थाना कुतुबशेर मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित*_

➡□आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो टीम की महिला उपनिरीक्षक सुमन, महिला कांस्टेबल ममता, महिला कांस्टेबल रिंकी एवं महिला हेड कांस्टेबल कमलेश द्वारा लेबर कॉलोनी बाजार, शारदा नगर बाजार, मानक मऊ बस अड्डा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया।

➡□अभियान के दौरान टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज–5 के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रेरित किया गया। उपस्थित बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग की झूठी अफवाहों से सचेत रहने, सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं बच्चों के हित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

➡□इसके साथ ही, टीम ने महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया तथा लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में, सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बरों —
1090 (वुमेन पावर लाइन), 1930 (साइबर अपराध), 108 (एम्बुलेंस सेवा) तथा 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा) के साथ-साथ मिशन शक्ति केन्द्र के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

_*➡️मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला थाना मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित*_

➡️आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को महिला थाना, जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो टीम की महिला उपनिरीक्षक आर्शिया, महिला हेड कांस्टेबल रीता, महिला कांस्टेबल सरिता एवं होमगार्ड ममता द्वारा क्षेत्र के मल्हीपुर रोड, जैन डिग्री कॉलेज, हकीकतनगर, रामलीला ग्राउंड, विराट आई.एस. एकेडमी हकीकतनगर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

➡️अभियान के दौरान टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज–5 के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रेरित किया गया। उपस्थित बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग से संबंधित झूठी अफवाहों से सचेत किया गया तथा महिला सशक्तिकरण, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं बच्चों के हित में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

➡️साथ ही, टीम ने महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं और साइबर फ्रॉड एवं साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक किया।

*सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बरों —*
1090 (वुमेन पावर लाइन), 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन), 108 (एम्बुलेंस सेवा) तथा 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा) — के साथ-साथ मिशन शक्ति केन्द्र के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

*□ मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत थाना तीतरो मिशन शक्ति एण्टीरोमियों पुलिस ने घर-घर पहुँचकर महिलाओं को किया गया जागरूक*

➡□आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को थाना तितरो, ग्राम खानपुर अफगान में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया।

➡□अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो प्रभारी उपनिरीक्षक अवनि उपाध्याय एवं कांस्टेबल दिव्यांशु द्वारा मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के विषय में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बालिकाओं को विस्तृत जानकारी दी गई।

➡□टीम द्वारा साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम के प्रकार, उनसे बचाव के उपायों तथा सतर्कता अपनाने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।

*इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बरों —*
1930 (साइबर अपराध), 1090 (वुमेन पावर लाइन), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा) एवं 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) की जानकारी दी गई तथा उपस्थित लोगों को संबंधित पम्पलेट भी वितरित किए गए।

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

*मिशन शक्ति फेज–5.0 के अन्तर्गत थाना कोतवाली नगर मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम द्वारा महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित*

➡आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो टीम की उपनिरीक्षक विनोद तेवतिया, महिला आरक्षी शिवानी, होमगार्ड चालक नरेश एवं पीआरडी सीता द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

➡अभियान के अंतर्गत टीम ने नवाबगंज चौक, एसबीआई बैंक, केनरा बैंक एवं एटीएम, नुमाइश कैंप, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जुबली पार्क, नकाशा बाजार, कक्कड़, राजकीय इंटर कॉलेज (लिंक रोड एवं नेहरू मार्केट), शहीद गंज, सराय चौक, भारत माता चौक, बेरी बाग, बी-मार्ट, फव्वारा चौक, भैरव मंदिर एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर भ्रमण किया।

➡अभियान के दौरान टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज–5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु जागरूक किया गया। बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग से जुड़ी झूठी अफवाहों के प्रति सचेत किया गया तथा महिला सशक्तिकरण, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं बच्चों के हित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

➡साथ ही, साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया तथा महिलाओं को अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी जानकारियाँ दी गईं। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी प्रदान की गई और सराय चौक पर महिलाओं एवं बालिकाओं की चौपाल लगाकर उनसे संवाद किया गया।

*➡इस दौरान टीम ने उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों —*
1090 (वुमेन पावर लाइन), 1930 (साइबर अपराध), 108 (एम्बुलेंस सेवा), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा) तथा 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) — के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

*□ मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत थाना नानौता मिशन शक्ति एण्टीरोमियो पुलिस नें महिलाओं को किया गया जागरूक*

➡□आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को थाना ननौता, जनपद सहारनपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। थाना नानौता टीम की महिला हेड कांस्टेबल परमेश्वरी एवं महिला हेड कांस्टेबल पूजा रानी द्वारा संपन्न कराया गया।

➡□अभियान के दौरान टीम द्वारा बाजार क्षेत्र में घूम-घूम कर महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज–5.0 तथा साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के संबंध में जानकारी दी गई। महिलाओं को साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से जुड़ी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया।

*साथ ही, उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों —*
1930 (साइबर अपराध), 1090 (वूमेन पावर लाइन), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा) एवं 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) — की जानकारी दी गई।

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

* मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत थाना फतेहपुर मिशन शक्ति एण्टीरोमियो पुलिस टीम नें महिला सशक्तिकरण जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।*

➡आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं (राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह) के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा ग्राम कमलपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

➡कार्यक्रम के दौरान महिला उप निरीक्षक मिथिलेश राठौर एवं महिला आरक्षी प्रीति द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं से उनकी समस्याओं को जाना गया तथा उनके निस्तारण हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए। साथ ही, टीम द्वारा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

अभियान के दौरान महिलाओं को बाल श्रम न कराने, गुड टच एवं बैड टच की समझ, तथा डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक आदि के खतरों से सचेत किया गया। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया।

*कार्यक्रम में महिलाओं को सरकार द्वारा जारी प्रमुख हेल्पलाइन नंबरों —*
1090 (वूमेन पावर लाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन), 108 (एम्बुलेंस सेवा) एवं 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा) की जानकारी दी गई।

*➡इसके अतिरिक्त, नए लागू कानूनों — BNS (भारतीय न्याय संहिता), BNSS (भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता) एवं BSA (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के बारे में भी जानकारी साझा की गई।*

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

*मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत थाना बिहारीगढ मिशन शक्ति एण्टीरोमियो पुलिस टीम नें जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।*

➡आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों — विद्यालयों, बैंकों, बाजारों एवं ग्राम क्षेत्रों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

➡अभियान के दौरान महिला उपनिरीक्षक अक्षिता सिंह, महिला आरक्षी चंचल शर्मा एवं महिला पीआरडी सुषमा द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराध एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।

➡टीम ने महिलाओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान किए। अभियान में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — जैसे विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि के बारे में बताया गया।

➡साथ ही बाल श्रम न कराने, गुड टच एवं बैड टच की पहचान, तथा डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक पर क्लिक न करने आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। टीम ने उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा जारी प्रमुख हेल्पलाइन नंबरों —
1090 (वूमेन पावर लाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन), 108 (एम्बुलेंस सेवा) एवं 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा) — के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

5.0

*□ मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत थाना नकुड की मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओ व बालिकाओ को जागरूक किया गया।*

➡□आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं (राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह) के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

➡□इस अभियान के अंतर्गत महिला कांस्टेबल दिशा द्वारा कस्बा नकुड़ के जनक बाजार, बस स्टैंड तथा भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण किया गया। अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं से उनकी समस्याओं को जाना गया तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए।

➡□टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बाल श्रम न कराने, गुड टच एवं बैड टच की पहचान, तथा डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल और अनचाहे लिंक पर क्लिक न करने जैसे विषयों पर विस्तृत रूप से समझाया गया।

*इसके अतिरिक्त, महिलाओं को सरकार द्वारा जारी प्रमुख हेल्पलाइन नंबरों —*
1090 (वूमेन पावर लाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन), 108 (एम्बुलेंस सेवा) एवं 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा) — की जानकारी दी गई।

*कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर विशेष बल दिया गया तथा पम्पलेट वितरित किए गए।*

दिनांक- 06.11.2025

-प्रेस नोट-

_*□ मिशन शक्ति फेज–5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति एण्टीरोमियो पुलिस टीम ने महिला सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान आयोजित किया*_

➡□आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को थाना बेहट, जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो टीम की उपनिरीक्षक मनोरमा चौधरी, महिला हेड कांस्टेबल ललिता एवं महिला हेड कांस्टेबल मीनाक्षी द्वारा बाजार क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु अभियान चलाया गया।

➡□अभियान के अंतर्गत टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज–5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रेरित किया गया। उपस्थित बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग से संबंधित झूठी अफवाहों के प्रति सचेत किया गया तथा महिला सशक्तिकरण, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

➡□टीम ने महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण के विषय में जागरूक किया तथा साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के उपायों के बारे में बताया। साथ ही, सरकार द्वारा जारी प्रमुख हेल्पलाइन नंबरों —
1090 (वुमेन पावर लाइन), 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन), 108 (एम्बुलेंस सेवा) एवं 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा) — की जानकारी दी गई।

*‼□महिलाओं को मिशन शक्ति केन्द्र की भूमिका एवं उपलब्ध सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया गया।‼□*